

22.08.24 पत्रावली पेश हुई।

जैर अशील जार्जना चक्र से संबंधित प्रकरण में डिप्टी अशील अधिकारी माननीय (एन) आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अपने अशील क्रमांक RIC/PLAI/A/2024/005782 में पारि निर्णय दि. 12.08.2024 द्वारा उक्त डिप्टी अशील को खारिज किया जा चुका है इसलिए अब इस प्रार्थना चक्र को वापस एन में चलाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होगा।

लिहाजा जैर अशील जार्जना-चक्र *disruptuous* हो जाने से खारिज ही जाती है पत्रावली उक्तल शुक्र दोहरा स्वर से भ्रम हो।

जिला कलेक्टर, पाली